

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन

भाग - 2

कक्षा-7



(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, द्वारा विकसित)
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य के निमित्त।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत
पाठ्य-पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
क्रय-विक्रय दण्डनीय अपराध।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

सर्व शिक्षा अभियान : 2013-14-19,35,810

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य-पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-1 द्वारा प्रकाशित तथा प्रतिभा प्रिंटर्स एण्ड स्टेशनर्स, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर-844101 द्वारा एच०पी०सी० के 70 जी०एस०एम०, क्रीम बोथ टेक्सट पेपर (वाटर मार्क) तथा एच०पी०सी० के 130 जी०एस०एम० हार्ड (वाटर मार्क) आवरण पेपर पर कुल 8,99,638 लाख प्रतियाँ 18 X 24 से०मी० साईज में मुद्रित।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए वर्ग I, III, VI एवं X की सभी भाषायी एवं गैर भाषायी पाठ्य-पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग X की गणित एवं विज्ञान तथा एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार, पटना द्वारा विकसित वर्ग I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की गयीं। इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र 2011-12 के लिए वर्ग-II, IV एवं VII तथा शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए वर्ग V एवं VIII की नई पाठ्य-पुस्तकें बिहार राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं। साथ-ही-साथ वर्ग I से VIII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप भी शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार, पटना के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

बिहार राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, श्री पी०के० शाही एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, श्री अमरजीत सिन्हा के मार्ग दर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली तथा एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया।

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

जे० के० पी० सिंह, भारे०का०से०

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

(iii)

दिशा-बोध सह पाठ्य-पुस्तक विकास समन्वय समिति

- श्री राहुल सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- श्री रामशरणागत सिंह, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं विशेष कार्यपदाधिकारी, बी.एस.टी.बी.पी.सी., पटना
- श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार
- डॉ. श्वेता सांडिल्य, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, पटना
- श्री हसन वारिस, निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- श्री मधुसूदन पासवान, कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- डॉ. एस.ए. मुईन, विभागाध्यक्ष, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर

पाठ्य-पुस्तक विकास समिति

विषय विशेषज्ञ

श्री अरविन्द सरदाना

एकलव्य, देवास, मध्यप्रदेश

लेखक सदस्य

डा. श्रवण कुमार सिंह

शिक्षक, सर जी० डी० पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटना

सुश्री नाहिदा प्रविण

शिक्षिका, उत्कर्मित मध्य विद्यालय, खतरी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर

श्री कात्यायन कुमार त्रिपाठी
श्री ओम प्रकाश

शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, चैलीटाल, गुलजारबाग, पटना
शिक्षक, धनेश्वरी देवनन्दन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, दानापुर, पटना

श्री आशीष कुमार
श्री प्रवीण कुमार
श्री विकास कुमार राय
श्री त्रिपुरारी कुमार
श्री आफताब आलम
श्री चन्दन श्रीवास्तव

शिक्षक, उच्च विद्यालय, वीर ओइआरा, पटना
शिक्षक, मध्य विद्यालय, खोनहा, सत्तर कटैया, सहरसा
शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, श्रीकान्तपुर, राजपुर, बक्सर
शिक्षक, मध्य विद्यालय, बड़का डुमरा, भोजपुर
शिक्षक, मध्य विद्यालय, सारंगपुर, भोजपुर
शिक्षाशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

समन्वयक

डा० रीता राय

व्याख्याता, एस०सी०ई०आर०टी०, पटना

समीक्षक

श्री विजय कुमार सिंह

शिक्षक, एफ० एन० एस० एकेडमी, (उच्च माध्यमिक) गुलजारबाग, पटना

श्रीमती तुलिका प्रसाद

प्रभारी प्राचार्या, प्रा० शि० म० वि० बाढ़, पटना

आरेखन

श्री आमोद कारखानिश
आभार

मुम्बई
यूनिसेफ, बिहार, पटना

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक “सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग-2 का भारत सरकार की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 तथा राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना द्वारा एन० सी० एफ० 2005 के सिद्धान्त दर्शन तथा शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर विशिष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्र को संदर्भ में रखते हुए बिहार पाठ्यचर्या 2008 तथा तदनुरूप पाठ्यक्रम के आधार पर बिहार राज्य के शिक्षक समूह के साथ चरणबद्ध कार्यशाला में निर्माण किया गया है। पाठ्यपुस्तक के विकास के क्रम में विषय विशेषज्ञों तथा विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर, राजस्थान का सहयोग रहा है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य तथा प्रकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवधारणाओं में दिये गये विषय-वस्तु को पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में परिलक्षित एवं समाविष्ट किया गया है। इसमें बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं चारित्रिक विकास पर ध्यान दिया गया है। बच्चों में करके सीखने तथा आपस में मिल-जुलकर रहने की प्रवृत्ति का विकास करके उनको जिम्मेवार नागरिक बनाया जाय, जिससे वे देश की धर्म निरपेक्षता, अखंडता एवं समृद्धि के लिए कार्य कर सकें ताकि संविधान की प्रस्तावना की पूर्ति हो, ऐसा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक में ध्यान रखा गया है। पाठ्यपुस्तक के सभी अध्याय रोचक हैं। पाठ्यपुस्तक में दिये गये विषय विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर आधारित हों, ऐसा प्रयास किया गया है। कुछ अध्यायों में कहानी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान के रहस्यों का उद्भेदन करने का प्रयास किया गया है, जो कि अपने आप में नवाचार है। कहीं-कहीं ऐसे प्रश्न संदर्भित हैं, जिससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हुए सत्य के निकट जाने हेतु कौतूहल एवं जिज्ञासा रहेगी।

इस पाठ्य-पुस्तक में बच्चों पर पुस्तकों के भार को कम करने की दृष्टि से “सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में हमारा अर्थशास्त्र” को भी समाहित किया गया है। बच्चों को सामाजिक जीवन के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को जानने का भरपूर अवसर प्रदान किया गया है। पाठ्यपुस्तक में मानव जीवन में समानता, राज्य सरकार, सामाजिक समस्या लिंग भेद, समानता के लिए संघर्ष, आसपास के बाजार, बाजार की शृंखला तथा समाज में मीडिया की भूमिका आदि पर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया गया है।

पाठ्य-पुस्तक से बच्चे तथा शिक्षक के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल-केंद्रित सुगम एवं आनन्ददायी हो, ऐसा प्रयास किया गया है, इसलिए

पाठ्यपुस्तक के सभी अध्यायों के विषय वस्तु में जगह-जगह क्रियाकलाप अर्थात् गतिविधि तथा प्रयोग का वर्णन हैं। पुस्तक के अधिकांश क्रियाकलाप बिना किसी सामग्री या कम लागत में करवाई जा सकती है। शिक्षण जितना गतिविधि आधारित होगा, बच्चों को सक्रिय बनाने वाला होगा तथा बच्चों को उतना ही अधिक आनन्द आएगा और वे उतनी ही अच्छी तरह दक्षताओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्य में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना का सराहनीय सहयोग रहा है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने के पूर्व राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना द्वारा विभागीय पदाधिकारी, विषय विशेषज्ञों, भाषा विशेषज्ञों एवं प्रारम्भिक स्तर के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान) के साधन सेवियों साथ मिलकर काफी गहन चर्चा के बाद पुस्तक की पाण्डुलिपि का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम, विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर, एकलव्य, मध्यप्रदेश द्वारा विकसित पुस्तकों के साथ अनेक प्रकाशनों की पुस्तकें, संदर्भ सामग्री के रूप में पाठ्यपुस्तक को तैयार करने में उपयोगी साबित हुई।

आशा है "सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग-2" की यह पाठ्यपुस्तक बच्चों के लिए लाभदायक, आनन्ददायी एवं रुचिकार सिद्ध होगी। इस पुस्तक के लिए समालोचनाओं एवं सुझावों का परिषद् स्वागत करेगी। प्राप्त सुझावों के प्रति परिषद् सजग संवेदनशील होकर अगले संस्करण में आवश्यक परिमार्जन के प्रति विशेष ध्यान देगी।

हसन वारिस

निदेशक

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

बिहार, पटना।

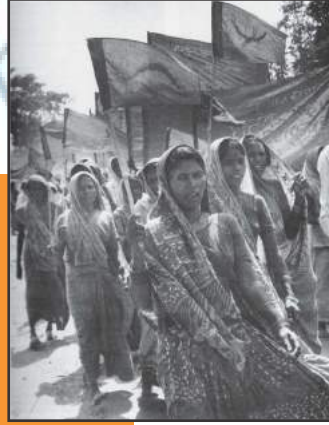
विषय-सूची

क्रम संख्या	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	लोकतंत्र में समानता	1
2.	राज्य सरकार	11
3.	शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका	23
4.	समाज में लिंग भेद	31
5.	समानता के लिए महिला संघर्ष	41
6.	मीडिया और लोकतंत्र	50
7.	विज्ञापन की समझ	61
8.	हमारे आस-पास के बाज़ार	69
9.	बाज़ार शृंखला : खरीदने और बेचने की कड़ियाँ	80
10.	चलें मण्डी घूमने	91
11.	समानता के लिए संघर्ष	105

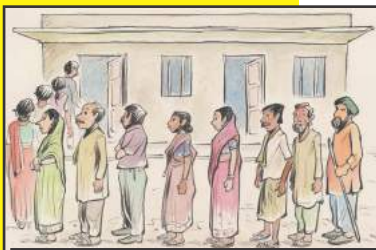
सादा

अध्याय 11

समानता के लिए संघर्ष



अब तक हम लोगों ने पुस्तक के सभी अध्यायों को पढ़ा। पुस्तक के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि पूनम और ज्योति, मतदाता पहचान-पत्र बनवाने की लाइन में खड़े थे। वहाँ सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव — जाति, धर्म, रंग-रूप, अमीर-गरीब आदि, एक कतार में खड़े थे। उसी प्रकार बाल संसद की चुनावी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सभी बच्चों को मत देने का समान अधिकार है। वहीं दूसरी ओर इसी पाठ में रमा और शालिनी के बीच हम असमानता को देखते हैं।



इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमने विधायक के चुनाव में व्यस्क व्यक्तियों को मतदान करते हुए देखा। यह मत हम समान रूप से देते हैं। किसी के मत (वोट) का महत्व दूसरे से कम या ज्यादा नहीं होता है। इसी पाठ में सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे— मध्याह्न भोजन, पोशाक योजना तथा साइकिल योजना में समानता के भाव को देखा। वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा आम आदमी को अभी नहीं मिल पा रही है, जो असमानता को बढ़ाता है।

जावेद एवं शबाना को विकसित होने के समान अवसर प्रदान किये गये। वहीं दूसरी ओर श्यामा चाहती है कि वो पढ़े-लिखे, खेल-कूद में भाग ले, परंतु उसके परिवार ने इसकी इजाजत नहीं दी। गुड़िया, पूजा एवं अन्य महिलाओं के संगठित प्रयास से समाज में बदलाव के संकेत दिखते हैं।

हमने मीडिया और लोकतंत्र में पढ़ा कि मीडिया सरकार द्वारा घोषित नीतियों, कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाती है और उनका विचार बनाने में मदद करती है। दूसरी ओर आम आदमी के दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हमने यह भी देखा कि रामजी, गाँव का छोटा दुकानदार बहुत कम लाभ कमा पाता है और बड़े व्यवसायी कहीं अधिक। यही विसंगति विज्ञापन के प्रसारणों में भी पायी जाती है। जहाँ एक ओर बड़ी-बड़ी हस्तियों से जुड़े विज्ञापन जाते हैं तो दूसरी ओर आम आदमी से संबंधित समस्याओं एवं छोटे-छोटे व्यापारियों के हितों को उपेक्षित किया जाता है।

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से एक बात

सामने आयी कि हम समानता यानी समान अवसर पाने की इच्छा रखते हैं। लोग सोचते हैं कि समान व्यवहार होना चाहिए। किन्तु, किसी न किसी रूप में असमानता नज़र आती है।

कई बार हमें अपनी उम्मीदों से निराश भी होना पड़ता है। परंतु हमने यह भी जाना कि लोग सवाल पूछते हैं, आवाज़ उठाते हैं, न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता ढूँढ़ते हैं और समानता की इच्छा को बनाये रखते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण गंगा बचाओ आन्दोलन है जहाँ मछुआरों ने अपने त्रस्त जीवन को संघर्ष के बदौलत खुशियों में बदल दिया।

जीवन-दायिनी गंगा के लिए संघर्ष



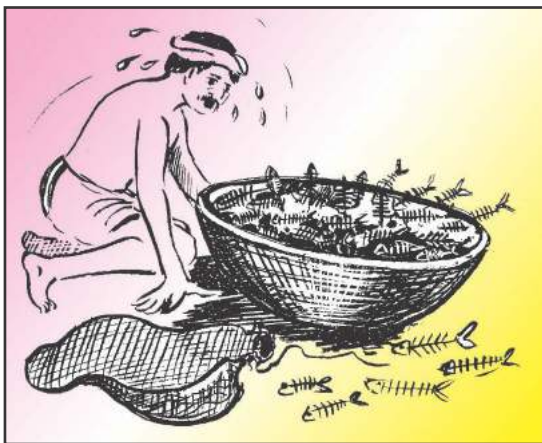
कठवा की नैय्या बनी है हो मलहवा,
गंगा के पार दे उतार।
झपक-झपक चले तोहर नैय्या हो मलहवा,
आयी पूरबईया बयार।
गंगा के पार भैया, लागे न तोर नैय्या।
भुखवा से चले न पतवार।
तीन रुपया भैया गंगा की कमइयाँ
दो रुपया लिये ज़मींदार।
बिलख-बिलख के बचवा रोवे,

पत्नी रोवे जार-बेज़ार।
दूषित जल भैया, भागे मछरिया,
गंगा के नाम पर चले ठीकेदरिया।
मछुआ सब हौले अब बेकार।
भाई-बहन मिली कर अब लड़इयाँ,
गंगा पर हक है हमार।
कत्ते ज़मींदारी कानून से टूटल।
हमर नसीबा काहे हौ फूटल।
सोचे न कोई सरकार।

(‘गंगा को अविरल बहने दो’ से साभार)

— कृष्ण चंद्र चौधरी

गंगा अतीत काल से बहती हुई अपने प्रवाह क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। तभी तो गंगा के मैदानी इलाकों में सभ्यता काफी फली-फूली। बिहार के लिए गंगा जीवनदायिनी रही है। गंगा आधारित सिंचाई, यातायात तथा मछली व्यवसाय पर जीवन-यापन करने वालों की एक बड़ी जमात बिहार में है। दबंगों एवं ज़मींदारों की नज़रें इस कारण गंगा पर गयीं। मछली मारने वाले मछुआरों, नाव चलाने वाले मल्लाहों आदि से मछली और नौका चालन हेतु रकम वसूलने का प्रचलन शुरू किया गया। पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी कायम रही जो आगे चलकर ठेकेदारी का रूप ले ली।



मछुआरों ने सहकारी समिति को गठित किया। बन्दोबस्ती ली। पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरों और मल्लाहों का शोषण शुरू हो गया। ठेकेदारों और सहकारी समिति से बड़े मछुआरों ने पट्टे पर घाट एवं नदी का क्षेत्र निर्धारित कर लिया। वे आगे छोटे मछुआरों और फिर उससे छोटे मछुआरों को देने लगे। इस प्रकार शोषण कई प्रकार से होने लगा। मल्लाहों और

मछुआरों में बैचैनी बढ़ने लगी। उनकी रोटी दिन प्रतिदिन छिनती जा रही थी।

इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। गंगा में समुद्र से मछलियों एवं जीरे का बहाव (आना) बन्द हो गया। परिणामतः गंगा में मछलियों की अप्रत्याशित कमी हो गयी। मछुआरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी।

इसी दौर में गंगा के दोनों किनारों पर फैक्टरियाँ लगीं। इनसे निकलने वाले कचरे से गंगा और भी प्रदूषित हो गयी। इस प्रदूषण से मछलियाँ न केवल मरने लगीं बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो गयी। मरता क्या नहीं करता। जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगाँव के कागजी टोला से किया। संघर्ष हेतु लिए गए संकल्पों में गंगा से जलकर समाप्ति, जाति प्रथा तोड़ने, शराबखोरी बन्द करने, महिलाओं को बराबर की हकदारी आदि प्रमुख थे। संघर्ष के क्रम में मछुआरों ने कई संगठनों का निर्माण किया। धरना-प्रदर्शन, लम्बी नौका यात्रा, नशाबन्दी शिविर तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के शान्तिपूर्ण प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास के सार्थक प्रभाव पड़ने लगे। संघर्ष का विस्तार बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर हो गया। इस आन्दोलन को दबाने का



प्रयास सहकारी समितियों तथा ठेकेदारों द्वारा किया जाने लगा। किन्तु मछुआरों और मल्लाहों के शान्तिपूर्ण संघर्ष को दमनकारी प्रयासों से कुचला नहीं जा सका। यह संघर्ष इतना सशक्त एवं प्रभावशाली रहा कि आठ-नौ वर्ष पूरा होते-होते, वर्ष 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैँती तक मुगलकाल से चली

आ रही ज़मीनदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। पुनः ठीक एक वर्ष के भीतर ही 1991 में सरकार ने राज्य को जलकर से मुक्त करने की घोषणा कर दी। इससे सम्बन्धित कानून बना दिये गये। आज गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। संघर्ष के परिणामस्वरूप उनका शोषण बन्द हो गया तथा आजीविका का अधिकार प्राप्त हुआ।



1. मछुआरे किन बातों से परेशान थे? उन्होंने इसके लिए क्या किया?
2. क्या कुछ समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं? इनके लिए क्या करना चाहिए?



पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने कई बार यह पढ़ा कि असमान व्यवहार से लोगों की गरिमा को किस तरह ठेस पहुँचती है। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वह समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। लोगों के मन में विचार उठता है कि समान व्यवहार क्यों नहीं होता। समाज ऐसा क्यों है? बदलाव कैसे हो सकते हैं? कहीं-कहीं आक्रोश जन्म लेता है। प्रभावित लोग संगठित होने लगते हैं तथा किये जा रहे उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर अपनी आवाज़ उठाकर संघर्ष आरंभ करते हैं।

इतिहास की नज़र से



ज्योतिबा फूले

भारतीय समाज जातियों एवं धर्मों में बंटा है। यहाँ ऊँच-नीच, जाति-प्रथा, छुआ-छूत, जैसी कई कुरीतियाँ पायी जाती रही हैं। महिला अशिक्षा और उनके साथ असमान व्यवहार तथा समाज में धन का असमान वितरण जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। उपरोक्त असमानता के विरुद्ध समय-समय पर आन्दोलन भी हुए हैं। इस क्रम में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावशाली आन्दोलन किया। महात्मा गाँधी, डॉ० राम मनोहर लोहिया तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी जाति-प्रथा एवं छुआ-छूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्षरत रहे।

सावित्री बाई फूले ने महिला शिक्षा एवं समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। संविधान द्वारा समानता के अधिकार दिये जाने में डॉ० भीमराव अम्बेदकर की प्रमुख भूमिका रही है।



लोकनायक जयप्रकाश
नारायण

विनोबा भावे के द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु किए गए भूदान आंदोलन को भी कई भूपतियों द्वारा समर्थन दिया गया। इतने संघर्षों के बावजूद अभी भी ढेरों ऐसी समस्याएँ हैं जिनके खिलाफ लड़े जाने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है— “हौसले बुलंद हो तो फासले करीब हैं, हो जिगर में दम अगर तो मंजिलें क्या दूर हैं”। ऐसे और भी संघर्ष एवं आंदोलन का वर्णन हम अगले वर्ग में जानेंगे।

अभ्यास

1. अपने विद्यालय या आस-पास में समानता तथा असमानता दर्शाने वाले दो-तीन व्यवहारों को लिखें।
2. क्या साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, मध्याह्न भोजन वितरण, छात्रवृत्ति वितरण के समय असमान व्यवहार का भाव झलकता है ? कैसे।
3. अपने इलाके के संदर्भ में कुछ संघर्ष के मुद्दों को बताएँ।
4. अपने क्षेत्र के कुछ प्रदर्शनों या आन्दोलनों में से किसी एक की चर्चा करें।